न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 288/2017

अनवान : –

1. धर्मपालसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।
2. जयसिंह पुत्र शिशराम जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।

– वादी

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।
2. निहालसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।
3. कोरसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।
4. जयकृष्ण पुत्र शिशराम जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।
5. बंशीलाल पुत्र शिशराम जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री अजयगुरू अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 14/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 88/177 के प0न0 379/441 (22) के किला न0 4 से 7, 14 ता 17 24, 25 की कुल 2.530 हैक्ट, प0न0 380/441 के मु0न0 23 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 की कुल 1.265 हैक्ट कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से फुल पत्नी भानीराम जाति कुम्हार साकिन ढाणी दरियापुर तहसील तोशाम खातेदार काश्तकार थी। इसी प्रकार चक 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 89/121 के प0न0 388/439 के मु0न0 49 के किला न0 6 से 8 व 13 से 18, 23 ता 25 तादादी 3.036 हैक्ट, प0न0 389/439 के मु0न0 50 के किला न0 8 ता 14 व 17 ता 24 की तादादी 3.795 हैक्ट कुल 6.831 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से फुली पत्नी भानीराम जाति कुम्हार निवासी दरियासर खातेदार काश्तकार थी।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुलीदेवी पत्नी भानीराम व चतरी देवी पत्नी रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी दरियासर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। फुलीदेवी पत्नी भानीराम जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा का दिनांक ....2017 को देहान्त हो चुका है तथा चतरी देवी पत्नी रामजीलाल का दिनांक 19.02.2017 को देहान्त हो चुका है।। फुली पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:31:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भानीराम ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्रों की सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 04.10.2012 को अपने नाम दर्ज भूमि की वसीयत अपने पुत्रगण यानि वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 के पक्ष मे कर दी तथा चतरी देवी पत्नी रामजीलाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 04.10.2012 को अपने पुत्रगण वादी स0 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्षे वसीयत करवाई थी। मुताबिक वसीयत चतरीदेवी के हक हिस्से की भूमि पर वादी स0 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब काबिज है तथा फुलीदेवी के हक हिस्सा की भूमि में वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 बहिब काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे मुताबिक वसीयत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, मूल वसीयत व वसीयत की चित्रप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र चतरी देवी व मृत्यु प्रमाण पत्र फुली देवी, वसीयत के गवाहान राजेन्द्र व गिरधारी के शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुलीदेवी पत्नी भानीराम व चतरी देवी पत्नी रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी दरियासर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। फुलीदेवी पत्नी भानीराम जाति कुम्हार निवासी दरियापुर का दिनांक 08.02.2017 को देहान्त हो चुका है तथा चतरी देवी पत्नी रामजीलाल का दिनांक 19.02.2017 को देहान्त हो चुका है।। फुली पत्नी भानीराम ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्रों की सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 04.10.2012 को अपने नाम दर्ज भूमि की वसीयत अपने पुत्रगण यानि वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 के पक्ष मे कर दी तथा चतरी देवी पत्नी रामजीलाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 04.10.2012 को अपने पुत्रगण वादी स0 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्षे वसीयत करवाई थी। मुताबिक वसीयत चतरीदेवी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हक हिस्से की भूमि पर वादी स0 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब काबिज है तथा फुलीदेवी के हक हिस्सा की भूमि में वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 88/177 के प0न0 379/441 (22) के किला न0 4 से 7, 14 ता 17 24, 25 की कुल 2.530 हैक्ट, प0न0 380/441 के मु0न0 23 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 की कुल 1.265 हैक्ट कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से फुल पुत्री रूडारा व चतरी पुत्री रूडाराम प्रत्येक 2/3 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार चक 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 89/121 के प0न0 388/439 के मु0न0 49 के किला न0 6 से 8 व 13 से 18, 23 ता 25 तादादी 3.036 हैक्ट, प0न0 389/439 के मु0न0 50 के किला न0 8 ता 14 व 17 ता 24 की तादादी 3.795 हैक्ट कुल 6.831 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से फुल पुत्री रूडारा व चतरी पुत्री रूडाराम प्रत्येक 2/3 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत के अनुसार फुली पत्नी भानीराम ने रोही मौजा 16 डीपीएन की 1.265 हैक्ट व 14 डीपीएन की 2.227 हैक्ट अपने हिस्से की भूमि वसीयत अपने पोतो जयकृष्ण, जयसिंह, बंशीलाल, शीशराम के पक्ष में दो गवाहन राजेन्द्र व गिरधारी के समक्ष दिनांक 04.10.2012 को तहरीर करवाई थी तथा चतरी देवी पत्नी श्री रामजीलाल ने रोही मौजा 16 डीपीएन की 1.265 हैक्ट व 14 डीपीएन की 2.227 हैक्ट अपने हिस्से की भूमि वसीयत अपने पुत्रों रामकुमार, निहालसिंह, कोरसिंह व धर्मपाल पुत्रान श्री रामजीलाल के पक्ष में तहरीर करवाई थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार चतरी व फुली का देहान्त हो चुका है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है। राजेन्द्र आर्य पुत्र स्व0 शिवराम आर्य जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ व गिरधारीलाल पुत्र श्री मुंशीराम जाति कुम्हार जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है एवं वसीयतकर्ता ने हम गवाहन के समक्ष हस्ताक्षर किये गये है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 88/177 की कुल 3.795 हैक्ट व रोही मौजा चक 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 89/121 की कुल 8.831 हैक्ट उक्त दोनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातो में चतरीदेवी के नाम दर्ज भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि में फुलीदेवी के हक व हिस्से की भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मृतक फुली व चतरी का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाता है।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 288 / 2017
अनवान : –

1. धर्मपालसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।
2. जयसिंह पुत्र शिशराम जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।

– **वादी**

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।
2. निहालसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।
3. कोरसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।
4. जयकृष्ण पुत्र शिशराम जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।
5. बंशीलाल पुत्र शिशराम जाति कुम्हार निवासी दरियापुरा तहसील तोशाम जिला भिवानी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 288 सन 2017 निर्णय दिनांक 14/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मदनमोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 88 / 117 की कुल 3.795 हैक्ट व रोही मौजा चक 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 89 / 121 की कुल 8.831 हैक्ट उक्त दोनों खातो में चतरीदेवी के नाम दर्ज भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि में फुलीदेवी के हक व हिस्से की भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मृतक फुली व चतरी का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाता है।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर